

प्रेस विज्ञापित

(दिनांक 28.03.2025 को सम्पन्न हुयी प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय)

आज दिनांक 28.03.2025 को नौएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभागार, नौएडा प्राधिकरण में सम्पन्न हुयी। बैठक में श्री लोकेश एम0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण, श्री रविकुमार एन0जी0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, श्री मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं—

- पुरानी रूकी हुई भू-भाटक परियोजनाओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-8011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के संबंध में—

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुल 57 परियोजनाओं में से दिनांक 23.03.2025 तक कुल 33 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 58 प्रतिशत हिस्सा है। 57 परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करने एवं रजिस्ट्रियों करने का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र० सं०	विवरण	कुल संख्या	जमा धनराशि (रु० करोड़ में)
1	कुल प्रोजेक्ट, जो इस नीति/पैकेज से अच्छादित थे तथा नेट ड्यूज की 25 प्रतिशत जमा करने हेतु मॉग पत्र प्रेषित परियोजनाओं की संख्या (इस सूची में आम्रपाली, यूनिटेक एवं एन0सी0एल0टी0 में विचाराधीन परियोजनाएँ शामिल नहीं की गयी हैं)	57	—
2	ऐसी परियोजनाओं की संख्या जिनमें शासनादेश के क्रम में गणना के उपरान्त देयता शून्य हो गई।	6	—
3	कुल प्रोजेक्ट्स, जिनके द्वारा नेट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष धनराशि जमा करा दी गई है।	27	502.00
4	कुल प्रोजेक्ट्स, जिनके द्वारा नेट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करायी गयी है।	14	31.91
5	ऐसे बिल्डर्स जिनके द्वारा सहमति दी गयी परन्तु देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी।	4	—
6	ऐसे बिल्डर्स जिनके द्वारा न ही सहमति दी गयी और न ही देय धनराशि जमा करायी गयी।	6	—
7	जमा करायी गयी 25 प्रतिशत धनराशि एवं आंशिक धनराशि का कुल योग		533.91

इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 3620 प्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 2726 प्लैट बायर्स रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

- प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये कुल प्राप्तियां का लक्ष्य रु० 9008 करोड़ निर्धारित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये कुल भुगतान का लक्ष्य रु० 8732 करोड़ निर्धारित किया गया है।

विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹0 2410 करोड़, अनुरक्षण कार्यों हेतु कुल ₹0 2229 करोड़ एवं ग्राम विकास कार्यों हेतु कुल ₹0 224 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिनांक 25 मार्च 2025 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।

नौएडा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों से प्राप्तियों का लक्ष्य रुपये 7713 करोड़ रखा गया है, जिसके सापेक्ष कुल रुपये 6809 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जोकि निर्धारित लक्ष्य का 88.28% है, जो पिछले विगत 10 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रही है।

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों पर भुगतान का लक्ष्य रुपये 7433 करोड़ रखा गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 25.03.2025 तक कुल रुपये 3032 करोड़ का भुगतान हुआ।

4. प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भू-दरों के निर्धारण के संबंध में।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवासीय भूखण्ड की ए+ श्रेणी को यथावत रखते हुए अवशेष श्रेणियों ए से ई के सैक्टरों की वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
- ग्रुप हाउसिंग की समस्त श्रेणियों में वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
- संस्थागत उपयोग की शेष श्रेणियाँ जो आवासीय दरों से Linked नहीं हैं, उनकी वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है तथा आवासीय दरों से Linked श्रेणियों में स्वतः वृद्धि की गई है। संस्थागत उपयोग के अन्तर्गत कॉरपोरेट ऑफिस की दरें आवासीय उपयोग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की दरों पर यथावत रखी गई हैं।
- औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
- ट्रांसपोर्ट नगर- ट्रांसपोर्टनगर की दरों में 6 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।
- संस्थागत एवं औद्योगिक क्षेत्र के फेस-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की IT/ITES एवं डाटा सेन्टर उपयोग की परिसम्पत्तियों की दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
- वाणिज्यिक उपयोग की वर्तमान प्रचलित दरों को यथावत रखा गया है।

5. गजराज केस में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 से आच्छादित अवशेष याची काश्तकारों को पात्रता के अनुसार 10 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के समतुल्य निर्धारित धनराशि प्रदान किये जाने का प्रथम विकल्प दिया जायेगा। किन्तु यदि अवशेष याची काश्तकारों द्वारा उक्त विकल्प को नहीं चुना जाता है तो भविष्य में भूमि उपलब्ध होने पर याची काश्तकारों को मा0 न्यायालय से आच्छादित उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड का आवंटन तथा अतिरिक्त 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु समतुल्य निर्धारित धनराशि प्रदान किये जाने का दूसरे विकल्प के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

6. उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 एवं उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति- 2024 को नौएडा क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

बहुमजिले भवनों का प्रारम्भिक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने हेतु इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं को पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए निजी संस्थाओं की qualification निर्धारित करते हुए expression of interest के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने, इन प्रस्तावों का परीक्षण किये

जाने हेतु समिति का गठन किये जाने एवं उक्त समस्त कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के वैकल्पिक मार्ग हेतु यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानान्तर एक्सप्रेस वे (एलिवेटेड/ऑन-ग्राउण्ड) के निर्माण हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई। यह वैकल्पिक मार्ग औखला बैराज से हिंडन यमुना दोआब होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे तक एक्सप्रेस वे (6 लेन एलिवेटेड/8 लेन ऑन-ग्राउण्ड) का निर्माण कराया जायेगा। उक्त परियोजना से होने वाले लाभ निम्नानुसार है:-

- a. दिल्ली, हरियाणा की ओर जाने वाला तथा ग्रेटर नौएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे एवं अन्य शहरों को जाने वाला यातायात नौएडा में प्रवेश किये बिना उक्त एक्सप्रेस-वे के माध्यम से गुजर सकेगा।
- b. निकट भविष्य में संचालित होने वाले नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाला ट्रैफिक का सुगम संचालन तथा आगरा, लखनऊ आदि जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान होगी।
- c. वर्तमान में बंध की ओर स्थित विभिन्न विकासाधीन आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक सैक्टरों एवं ग्रामों के विकास को गति मिलेगी।
- d. उक्त क्षेत्रों में आवागमन करने वाला ट्रैफिक निर्बाध रूप से गुजर सकेगा।
- e. विद्यमान नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे पर यातायात का दबाव कम होगा।
- f. एक्सप्रेस-वे पर प्रायः लगने वाले जाम के कारण उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
